

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

आपसे प्रेषित कि प्रस्ताव प्रकरण में किसी भी दशा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावे।

संख्या  
अ/समितिनाक

मुख्य वन संरक्षक,  
(मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर)  
महोदय,

संलग्नक-उपरीकानुसार।

अतः प्रस्ताव प्रस्ताव इस स्तर से टाउन लाइन करते हुये मय संशुद्धि सहित 02 प्रतिभों में अंतर कारवाही हेतु प्रेषित।

पट्टी पर कुल लम्बाई 171.30 कि०मी० तथा चौड़ाई 0.1 मीटर क्षेत्रफल 1.8057 है०।  
(एम०एम०बी०सी०बी०) मार्ग के कि०मी० 12 से कि०मी० 73 तक कुल लम्बाई 62.00 कि०मी० के मध्य की बाँधी/दायी  
डुब्ली-मोरेपुर मार्ग (आर०डी०आर०) कि०मी० 00 से 20 कि०मी० तक कुल लम्बाई 20 कि०मी० तथा मुर्बेवा से बीजापुर  
बीजा-बीबी मार्ग एन०एच० 75 है के कि०मी० 219 से 302.50 कि०मी० तक कुल लम्बाई 84.50 कि०मी० एवं  
लम्बाई 2.50 कि०मी० एवं वाराणसी-शिवनगर मार्ग (बी०डी से शिवनगर मार्ग पर) कुल लम्बाई 2.30 कि०मी० एवं  
रेल्वेकट वन प्रभाग के अन्तर्गत वाराणसी-शिवनगर एच०एच०-5 ए के कि०मी० 115.00 से 117.50 कि०मी० तक कुल  
बाँधी/दायी पट्टी पर कुल लम्बाई 29 कि०मी०, चौड़ाई 0.1 मीटर से क्षेत्रफल 0.2901 है०।

1. ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत (वाराणसी-शिवनगर) एच०एच०-5 के कि०मी० संख्या-87.00 से कि०मी० 115.00 के मध्य  
हैतु प्रेषित किया गया है।

धारा-2 के तहत 03-03 प्रतिभों में आन लाइन टाउन के साथ मय संशुद्धि सहित इस कार्यालय को अंतर कारवाही  
है। निम्ने प्रमाणिकी, ओबरा तथा रेल्वेकट वन प्रभाग ने अपने संशुद्धि पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की  
2017 में मात्र 100 मि०मी०/0.1 मीटर के आधार पर वन भूमि की मांग (कुल 2.0958 है०) वन भूमि न्यूनतम प्रस्तावित किया गया  
तकनीकी का प्रयोग किने जाने के निर्णय पर संशुद्धि प्रस्ताव आन लाइन संख्या-FP/UP/OTHER/24371/2017 दिनांक 16.02.  
पर वनभूमि की मांग अधिक थी। याचक द्वारा वन भूमि की मांग न्यूनतम किने जाने के उद्देश्य से वर्तमान में एच०डी०डी०  
जाने में मार्ग की गणना 0.45 मीटर के आधार पर कुल 9.0135 है० संशुद्धि वन भूमि की आवश्यकता थी। जो उपयोग के आधार  
याचक द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.05.2017 में उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव ओ०एच०डी० केवल बिछाये  
किया जाना अपेक्षित था।

आपके कार्यालय के पृष्ठानक संख्या-734/11-सी, दिनांक 04.10.2016 द्वारा 12 बिन्दु की आपत्ति याचक स्तर से निराकरणा  
की गयी थी। निम्नपर भारत सरकार के कार्यालय पत्र संख्या-8बी/09/85/2016/एच०डी०/32 दिनांक 30.09.2016 एवं  
अवगत कराना है कि प्रस्ताव प्रस्ताव पूर्व में आन लाइन संशुद्धि संख्या-FP/UP/OTHER/17307/2015

महोदय,

सन्दर्भ-1- प्रमाणिकी, ओबरा का पत्र संख्या-3947/ओबरा/15 मई०, दिनांक 31.05.2017।  
2- प्रमाणिकी, रेल्वेकट का पत्र संख्या-3695/रेल्वेकट/15 दिनांक 27.05.2017।

विषय:- ओबरा एवं रेल्वेकट वन प्रभाग की 30 रिलायन्स लिमिटेड इकोकाम लि० की ओ०एच०डी० केवल वन भूमि में  
भूमिगत आर्टीकल फाईवर कोबल बिछाये जाने हेतु संशुद्धि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

सेवा में,

पत्रांक-548/मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर, 4-8, 2017  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर